

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22 जून, 2017

सा.का.नि. _____ (अ)- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में आगे और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) दूसरा संशोधन नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में, नियम 5 में, खंड (ख) में "बीस" शब्द के स्थान पर "पचास" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/33/2013-सीएल-V (भाग-I)]

अमरदीप सिंह भाटिया
22/06/2017

अमरदीप सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 246(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें सा.का.नि. संख्यांक 722(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 972 (अ) तारीख 14 दिसंबर, 2015 और सा.का.नि. संख्यांक 307 (अ) तारीख 30 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART II, Section 3, Sub-section (i)]**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification**

New Delhi, the 22nd June, 2017


G.S.R.....(E)— In exercise of the powers conferred by section 139 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in rule 5, in clause (b), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted.

[F. No. 1/33/2013-CL-V-(Vol.I)]


22/06/2017

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* G.S.R. 722 (E), dated the 14th October, 2014, G.S.R. 972 (E), dated the 14th December, 2015 and G.S.R. 307(E) dated the 30th March, 2017.